न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया, गिरिडीह

मनोज कुमार दास वगै0 बनाम् शांति भूषण पंडित वगै0
विविध वाद संख्या– 103/2024
U/S- 163 B.N.S.S.

आदेश की क्रम संख्या और तिथि।	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पनी तारीख सहित।
10.09.2024	प्रथम पक्ष :– 1. मनोज कुमार दास, पिता– किशुन रविदास। 2. रामचन्द्र रविदास, पिता– भुखल रविदास। 3. विनोद रविदास, पिता– काली रविदास। सभी साकिन– बृन्दा, पोस्ट– रूपायडीह,	

प्रथम पक्ष :–

1. मनोज कुमार दास, पिता– किशुन रविदास।
2. रामचन्द्र रविदास, पिता– भुखल रविदास।
3. विनोद रविदास, पिता– काली रविदास।

सभी साकिन– बृन्दा, पोस्ट– रूपायडीह,

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. शांति भूषण पंडित, पिता– टोढी कुम्हार।
2. मनोज पंडित, पिता– छतरी पंडित।
3. उमाशंकर पंडित, पिता– शांति भूषण पंडित।
4. विशुन पंडित, पिता– एतवारी पंडित।
5. राजेन्द्र पंडित, पिता– बालकी पंडित।
6. रूपलाल पंडित, पिता– टोढी कुम्हार।
7. ईश्वर पंडित, पिता– एतवारी पंडित।
8. छतरी पंडित, पिता– टोढ़ी कुम्हार।
9. सहदेव पंडित, पिता– बद्री पंडित।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बिरनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रंरभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि का विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बृन्दा	31/847	245	60 डी0 मध्ये 28 डी0	उ0– टोढी कुम्हार, द0– डेगन साव, पू0– डेगन साव, पं0– टोढी कुम्हार।

10.09.2024

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के प्रश्चात उभय पक्ष/ उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्षः–

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 19.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैः–

1. लिखित आवेदन– कुल 05 पृष्ट, **प्रदर्श A – 1**
2. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ट, **प्रदर्श A – 2**
3. भुखल चमार वगैरह के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A – 3**
4. भुखल चमार वगैरह के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A – 4**
5. ऑनलाईन नक्शा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A – 5**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 19.06.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट न0 03– यह कि प्रथम पक्ष के विवादि जमीन मौजा– वृन्दा, थाना– बिरनी, जिला गिरिडीह के अंतर्गत खाता संख्या– $\frac{31}{847}$, प्लॉट संख्या– 245, कुल रकवा– 60 डी0 विवादित रकवा– 28 डी0 जिसकी चौहद्दी : उ0– टोढी कुम्हार, द0– डेगन साव, पू0– डेगन साव, पं0– टोढी कुम्हार अवस्थित है।

आवेदन का प्वांइट न0 04– यह कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वज भुखल चमार वो सुखलाल चमार वल्द गंदोरी चमार वो बिहारी चमार वो काली चमार वल्द विशुन चमार को हुकुमनामा से हासिल है।

आवेदन का प्वांइट न0 05– यह कि प्रथम पक्ष उक्त विवादित जमीन गैरमजरूआ खाते की है जो हासिल होने के बाद से जोत अबाद खेती बारी तथा फसल उपजाव कर दखलकार चले आ रहे हैं।

आवेदन का प्वांइट न0 06– यह कि उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष जो अंचल कार्यालय बिरनी के माँग पंजी– 02 के भाग संख्या– 01 पृष्ट संख्या– 85 में भुखल चमार वो सुखलाल चमार वो विहारी चमार वो काली चमार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। जिसका साल दर साल लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है, जो मौजा– वृन्दा, थाना– बिरनी, थाना नं0– 04 के खाता संख्या– $\frac{31}{847}$, प्लॉट संख्या– 245, कुल रकवा– 60, विवादित रकवा– 28 डी0 जिसकी चौहद्दी : उ0– टोढी कुम्हार, द0– डेगन साव, पू0– डेगन साव, पं0– टोढी कुम्हार अवस्थित है।

10.09.2024

आवेदन का प्वाइट न0 07– यह कि कुछ दिनों से द्वितीय पक्ष के सदस्य उक्त वर्णित जमीन पर ईट बालू इत्यादि इक्कठा कर लिये और बल पूर्वक जमीन हडपने के नियत से नीव का खुदाई कर रहा है। जब मेरे द्वारा काम रोकने गये तो मारपीट करने पर उतारू हो गये जिस कारण वश किसी भी क्षण मारपीट से शांति व्यवस्था भंग होने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

द्वितीय पक्ष :–

द्वितीय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 02.09.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा– कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श B – 1**
2. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ट, **प्रदर्श B – 2**
3. बाढो कुम्हार वो चीतो कुम्हार के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B – 3**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण–पृच्छा का प्वांइट 01– यह कि वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

मौजा	अंचल	थाना / थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हन्दा	बिरनी	बिरनी 04	31 / 847	245	60 डी0 मध्ये 28 डी0
चौहदी	उ0– टोढी कुम्हार			द0– डेगन साव	
	पू0– डेगन साव			पं0– टोढी साव	

कारण–पृच्छा का प्वांइट 02– वादग्रस्त भूमि गैरमजरूवा खास खाते कि भूमि है।

कारण--पृच्छा का प्वांइट 05– यह कि वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वजों को बजरीये हुकुमनामा से हासिल होने के बाद हीं जोत–कोड करते चले आ रहे हैं।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 08– वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के दस्तावेज के अनुसार :–

(1) द्वितीय पक्ष के पूर्वज को बजरीये हुकुमनामा बाबू लक्ष्मी प्रसाद वगैरह बनाम् बाढो कुम्हार वो चीतो कुम्हार के नाम से निर्गत है जो मौजा– वृन्दा, के अंदर खाता संख्या– 31, प्लॉट संख्या– 245, कुल रकवा– 1.05 एकड़ जिसकी चौहद्दी : उ0– नीज रैयत, द0– परती कदीम, पू0– परती कदीम, पं0– नीज रैयत दर्ज है, जो वर्ष 1928 ई0 सम्बत साल 1985 को हासिल है।

10.09.2024

(2) द्वितीय पक्ष के पूर्वज बाढो कुम्हार वो चीतो कुम्हार उक्त भूमि पर बराबर खेती बारी करते चले आ रहे थे तथा जमींदार को लगान अदा कर लगान रसीद निर्गत कराते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवित वंशजों के द्वारा अंचल कार्यालय बिरनी द्वारा बिहार सरकार एवं वर्त्तमान झारखण्ड सरकार को माँग पंजी–II भाग संख्या– 04, पेज संख्या– 171 से लगान अदा कर लगान रसीद निर्गत करते चले आ रहे हैं।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 09– यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की चौहद्दी भी अलग–अलग है तथा द्वितीय पक्ष हुकुमनामा में दर्ज चौहद्दी पर कायम काबिज है।

जिससे अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा पत्रांक संख्या– 680 दिनांक– 04.07. 2024 में द्वितीय पक्ष के दखल– कब्जा को पारा नं0– (3) में समर्थन भी किया गया है तथा अंचल अधिकारी बिरनी को ग्रामीणों के द्वारा भी बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का हीं पूर्व से दखल चला आ रहा है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 10– यह कि वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है तथा प्रथम पक्ष को कभी जानकारी भी नहीं थी कि उक्त भूमि मेरी है।

प्रथम पक्ष जब साजिश के तहत् एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिये तब प्राईवेट अमीन को लेकर मापी कराकर उक्त भूमि पर दावा करने लगे जो न्याय चित नहीं है कि क्योंकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर वर्ष 1928 से लगातार 2024 अर्थात मूल 96 वर्ष से काबिज है तथा जोत–कोड कर फसल उपजा करते चले आ रहे है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट 11– यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन खण्डपिठ माननीय जस्टिस अरूण मिश्रा, एस ए नजीर एंव एक आर शाह की पीठ के द्वारा भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालय के फैसले जैसे (1) गुरूद्वारा साहिब बनाम् ग्राम– पंचायत श्रीथला (2014) उत्रराखंड बनाम् मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज 2017 एवं अन्य के निर्णय पर अंतिम निर्णय देते हुए स्पष्ट किया गया है कि– कब्जाधारी व्यक्ति (एडवर्स पजेसर) उस जमीन या सम्पत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकते हैं जो प्राईवेट भूमि पर 12 वर्ष तथा सरकारी भूमि पर 30 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसमें अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसमें कब्जे में हैं।

अंचल बिरनी का जाँच प्रतिवेदन–

अंचल अधिकारी बिरनी का पत्रांक– 680, दिनांक– 04.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल 02 पृष्ट (प्रतिवेदन– 01 पृष्ट एवं रा0 उप0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का जाँच प्रतिवेदन कुल 01 पृष्ट), प्रदर्श C – 1

अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि–

"(1) खतियान के अनुसार :– प्रश्नगत भूमि, मौजा– वृन्दा, थाना– संख्या– 04 के खाता संख्या– 31, प्लॉट संख्या– 245, रकवा– 2.12 एकड़ के मध्ये रकवा– 28 डी सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है। किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है।

..09.2024

(2) पंजी–II के आधार पर :– प्रश्नगत भूमि पर दावा के संबंध में आवेदक (प्रथम पक्ष) के द्वारा हुकुमनामा, चालू पंजी–II, ऑनलाईन पंजी–II तथा ऑनलाईन लगान रसीद दिखाया गया है, जबकि द्वितीय पक्ष शांति भूषण पंडित से प्रश्नगत भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज की माँग करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दस्तावेज उनके भतीजे के पास है, जो बाहर में है। दस्तावेज उनके द्वारा नही दिया गया।

(3) सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी :– स्थल जाँच में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा था, परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा प्राइवेट अमीन से पैमाईश कराया गया, तो उन्हें पता चला कि प्रश्नगत भूमि भी उन्ही का है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जोतने के दौरान द्वितीय पक्ष से विवाद हो गया।"

विश्लेषण एवं निष्कर्ष:–

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण–पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि–

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बृन्दा	31/847	245	60 डी0 मध्ये 28 डी0	उ0– टोढी कुम्हार, द0– डेगन साव, पू0– डेगन साव, पं0– टोढी कुम्हार।

2. सर्वे खतियान के अनुसार उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की सरकारी भूमि है।

3. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज भूखल चमार वो सुखलाल चमार वल्द गंदोरी चमार वो बिहारी चमार वो काली चमार वल्द विशुन चमार को हुकुमनामा से प्राप्त हुआ था, तत्पश्चात अंचल कार्यालय बिरनी के मांग पंजी–2 के भाग संख्या–1, पृष्ट संख्या– 85 पर भूखल चमार वो सुखलाल चमार वो विहारी चमार

…9.2024

वो काली चमार के नाम से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है, तथा प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का दावा किया जा रहा है।

4. **द्वितीय पक्ष का दावा है कि** उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज बाढो कुम्हार वो चीतो कुम्हार को सादा हुकुमनामा के माध्यम से वर्ष 1928 में प्राप्त हुआ था तत्पश्चात मांग पंजी–2, भाग संख्या– 04, पेज सं0– 171 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है तथा उसपर द्वितीय पक्ष का कब्जा है।

5. द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के हुकुमनामा में चौहद्दी अलग – अलग है।

6. अंचल के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा वर्तमान में प्राईवेट अमीन से सीमांकन कराने के बाद दोनों पक्ष के बीच यह विवाद शुरू हुआ है।

7. चौहद्दी के अनुसार भूमि का सीमांकन करना अंचल कार्यालय का कार्य है।

अतः **इस वाद में उभय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।**

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

उभय पक्ष को निर्णय से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.09.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.23 12:08:01 +05:30
Location: 192.168.1.3

10.09.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया(गिरिडीह)